Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION (RPSC)

पेपर – I || भाग – I

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति

SIERRA INNOVATIONS

RAS

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	राजस्थान का इतिहास	
1.	राजस्थान का इतिहास	1
2.	राजस्थान के इतिहास को जानने के स्त्रोत	1
	• शिलालेख	2
	• सिक्के	13
	• अभिलेख	17
	• ताम्रपत्र	21
3.	मध्यकालीन इतिहास	
	• मेवाड का इतिहास	23
	• मारवाड का इतिहास	44
	• बीकानेर के राठौडो का इतिहास	55
	• चौहानो का इतिहास	60
	• रणथम्भौर के चौहान	66
	• जालौर के चौहान	68
	• सिरोही के चौहान	70
	• बूंदी के चौहान	71
	• कोटा के चौहान	73
	• झालावाड का इतिहास	74
	• आमेर के कछवाहा वंश का इतिहास	75
	• अलवर का इतिहास	84
	• भरतपुर का इतिहास	85
	• जैसलमेर का इतिहास	86
	• करौली का इतिहास	88

4. आधुनिक राजस्थान का इतिहास
- 1857 की क्रान्ति 89
- राजस्थान में किसान आन्दोलन 94
- प्रजामण्डल आन्दोलन 100

5. राजस्थान का एकीकरण 109

कला एवं संस्कृति

6. राजस्थान के त्योहार 116
7. राजस्थान के प्रमुख मेलें 129
8. राजस्थान की सामाजिक प्रथाएँ एवं रीति – रिवाज 137
9. राजस्थान के लोक देवता 138
10. राजस्थान की लोक देवियाँ 145
11. राजस्थान के लोक संत 152
12. राजस्थान के प्रमुख सम्प्रदाय 157
13. राजस्थान के प्रमुख लोकगीत 161
14. राजस्थान की लोकगायन शैलियाँ 163
15. राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र 166
16. राजस्थान के लोक नृत्य 171
17. राजस्थान के लोक नाट्य 177
18. राजस्थान की जनजातियाँ 183
19. राजस्थान की चित्रकला 189
20. राजस्थान की हस्तकला 199
21. राजस्थान के पुरातात्विक स्थल 203
22. राजस्थान का साहित्य 209
23. राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ 215
24. प्रमुख राजस्थानी साहित्यिक संस्थाएँ 218
25. महत्वपूर्ण किले/स्मारक एवं संरचनाएँ 220
26. राजस्थान के प्रमुख महल 235
27. राजस्थान के प्रमुख मन्दिर व मस्जिद 246
28. राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ एवं हवेलियाँ 280
29. आभूषण, वेशभूषा व खान – पान 288
30. राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व 294

राजस्थान का इतिहास

राजस्थान का इतिहास

भारत के उत्तर-पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है । राजस्थान के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

1. राजपूताना शब्द

राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 'जॉर्ज थॉमस' ने 1800 ई. में किया था । यह जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज अधिकारी था, जो मूलतः आयरलैण्ड का निवासी था । जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम 1758 ई. में राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में आया तथा इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी ।

राजपूताना शब्द का हमें सर्वप्रथम लिखित प्रमाण 1805 ई. में जॉर्ज थॉमस के दोस्त 'विलियम फ्रेंक्लीन' की पुस्तक 'मिलट्री मेमोयार्स ऑफ जॉर्ज थॉमस' में मिलता है । इस पुस्तक का विमोचन 'लॉर्ड वेलेजली' द्वारा किया गया । राजस्थान प्रदेश को अंग्रेजों के शासन काल व मध्यकाल में 'राजपूताना' के नाम से जाना जाता था ।

2. राजस्थान शब्द

राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण हमें बसन्तगढ (सिरोही) में स्थित सीमल माता/खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण विक्रम संवत 682 के शिलालेख में मिलता है । जिसमें 'राजस्थानीयादीत्य' शब्द उत्कीर्ण है । उसके बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग 'मुहणोत नैणसी री ख्यात' में मिलता है । इसी ग्रन्थ को हम 'राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रन्थ' मानते है ।

राजपूताना भू-भाग के लिए सर्वप्रथम 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग 1829 ई. में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एनाल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान' में किया है ।

ध्यातव्य रहे - कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा था इसलिए कर्नल जेम्स टॉड को 'राजस्थान के इतिहास का जनक' कहते है ।

भारत के आजाद होने के उपरान्त पी. सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश से सवैधानिक तौर पर इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द को 26 जनवरी, 1950 को मान्यता मिली ।

राजस्थान के इतिहास को जानने के स्त्रोत

किसी भी देश या राज्य का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है । प्राचीनकाल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, इसीलिए इतिहास के विद्यार्थियों को उस देश व राज्य से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पडता है । राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्य साधनों को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित कर सकते है ।

(i) पुरातात्विक स्रोत

राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य हैं । पुरातात्विक स्रोत में नष्ट हुए प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित अवशेष जैसे मृदभाण्ड, गृह अवशेष, पाषाण, ताम्र एवं लोहे के औजार आते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल नामक अध्याय में किया गया है ।

(ii) पुरालेखीय स्रोत

विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई प्राप्त सामग्री जिसे हम पढकर उस जमाने के बारे में जान सकें, वह 'पुरालेखीय स्रोत' कहलाते हैं । पुरालेखीय स्रोतों में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, अभिलेख व ब्रिटिश एजेंण्टों द्वारा राज्यों व सरकार को भेजे गये पत्र आदि शामिल हैं । इन पर लिखी लिखावट को हम 'लिपि' कहते हैं ।

ध्यातव्य रहे – लिपियों के अध्ययन को हम 'पेलियोग्राफी' कहते हैं । भारतीय लिपियों पर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा को जाता है, जिन्होंने भारतीय लिपियों पर 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' नामक ग्रन्थ लिखा था ।

शिलालेख

प्राचीन खण्डहर एवं मुद्राओं की भाँति राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय इतिहास बतलाने वाला एक साधन शिलालेख हैं । जहाँ कहीं अन्य साधन मूक अथवा अस्पष्ट है वहीं इतिहास के निर्माण में हमें इनसे बडी सहायता मिलती है । ये शिलालेख शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों या गुहाओं की दीवारों, मन्दिरों के भागों, स्तुपों, स्तम्भों, मठों, तालाबों बावडियों की दीवारों (शिलाओं) पर बहुत मिलते हैं ।

ऐतिहासिक स्रोत			
पुरातात्विक स्रोत	पुरालेखीय स्रोत	ऐतिहासिक साहित्य	आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार
नष्ट हुई प्राचीन मानव सभ्यता से सम्बन्धित अवशेष जैसे– मृद्भाण्ड, गृह अवशेष, पाषाण, ताम्र एवं लोहे के औजार आदि।	1- शिलालेख	1- संस्कृत साहित्य	1- कर्नल जेम्स टॉड
	2- सिक्के	2- हिन्दी एवं राजस्थान साहित्य	2- डॉ.एल.पी. टैस्सीटोरी
	3- अभिलेख	3- जैन साहित्य	3- सूर्यमल्ल मिश्रण
	4- ताम्र पत्र	4- ख्यात साहित्य	4- गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा
		5- फारसी साहित्य	5- कवि राजा श्यामलदास
			6- मुंशी देवी प्रसाद
			7- रामनाथ रत्नू
			8- जगदीश सिंह गहलोत

जिन शिलालेखों पर किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का उल्लेख मिलता है उन्हें 'प्रशस्ति' कहते हैं । शिलालेखों के द्वारा हमें उस जमाने के राजाओं की उपलब्धियों, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दशाओं की जानकारी मिलती है ।

विशेष

1. अभिलेखों के अध्ययन को 'एपियाग्राफिक' कहते हैं ।
2. भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख 'अशोक महान' न धनत्रात बनवाए ।
3. भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शक शासक रूद्रदामन का 'जूनागढ अभिलेख' है ।
4. राजस्थान के शिलालेखों की भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है ।

राजस्थान में प्राप्त महत्वपूर्ण शिलालेख निम्नलिखित है –

1. बडवा स्तम्भ लेख – बारां जिले के बडवा नामक स्थान से प्राप्त 238-239 ई. के इस शिलालेख में बलवर्धन, सोमदेव तथा बलसिंह द्वारा विरात्र यज्ञों के आयोजन के उपरान्त मौखरी द्वारा 'अप्तोयाम यज्ञ'' को सम्पादित किए जाने का उल्लेख मिलता है ।
2. नांदसा यूप– स्तम्भ लेख (225 ई.) – यह शिलालेख भीलवाडा जिले में नांदसा गाँव के एक तडाग (तालाब) में 12 फीट ऊँचा और साढे पाँच फीट गोलाई में एक गोल स्तम्भ के रूप में मिला है । इस लेख को केवल तालाब का पानी सुखने के बाद पढा जा सकता है । इस लेख की रचना संवत् 282 के चैत्र की पूर्णिमा को तथा स्थापना सोम के द्वारा की गई थी । इस लेख से हमें ज्ञात होता है, कि क्षत्रियों के राज्य विस्तार हेतु गुणगुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ पष्ठिरात्र यज्ञ सम्पादित किया गया अतः उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी नांदसा यूप स्तम्भ लेख से मिलती है ।
3. बर्नाला यूप–स्तम्भ लेख (227 ई.) – यह शिलालेख जयपुर जिले में बर्नाला नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जिसे आमेर संग्रहालय में रखा गया है । इस लेख कि रचना संवत् 284 ई. के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को की गई है । इस लेख से हमें यह पता चलता है कि सोहर्न गोत्रोत्पन्न वर्धन नामक व्यक्ति ने यहाँ सात यूप स्तंभों की प्रतिष्ठा करवाकर पुण्य प्राप्त किया ।

   ध्यातव्य रहे – अप्तोयाम यज्ञ का समय अतिरात्र होता है अर्थात् पूरे एक दिन के उपरांत दूसरे दिन तक इसे चलाया जाता है ।

4. बिचपुरिया यूप–स्तम्भ लेख (224 ई.) – यह शिलालेख जयपुर राज्य (वर्तमान में टोंक जिले) के उणियारा ठिकाने के 'बिचपुरिया मंदिर' के आँगन में मिला । इस लेख से हमें यज्ञानुष्ठान का बोध होता है परन्तु यज्ञ विशेष के नाम की जानकारी नहीं मिलती है । इसी में धारक का परिचय अग्निहोत्र के रूप में दिया गया है ।
5. विजयगढ यूप–स्तम्भ लेख (371–372 ई.) – यह शिलालेख भरतपुर जिले में स्थित विजयगढ नामक दुर्ग की दीवार पर मिला है । इस लेख से हमें राजा विष्णुवर्धन के पुत्र यशोवर्धन द्वारा यहाँ पुंडरीक नामक यज्ञ किये जाने की जानकारी मिलती है ।
6. गंगधार का लेख – झालावाड जिले में गंगधार से 424 ई. का शिलालेख है जिसमें विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है । इस मंदिर में तांत्रिक शैली के मातृगृह के निर्माण का उल्लेख मिलता है । इस शिलालेख में पाँचवीं शताब्दी की सामन्त व्यवस्था पर भी प्रकाश पडता है ।

7. बडली का लेख (443 ई.पू.) – यह शिलालेख अजमेर स्थित बडली नामक स्थान पर एक स्तम्भ के टुकडे पर अंकित प्राप्त हुआ, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन व भारत में प्रियवा के अभिलेख (487 ई.पू.) के बाद भारत का यह सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है ।
8. घोसुन्डी–शिलालेख (द्वितीय शताब्दी ई.पू.) – यह शिलालेख चित्तौडगढ जिले में नगरी के निकट घोसुन्डी गाँव में कई शिलाखण्डों में टूटा हुआ मिला है । इनमें से एक बडा शिलाखण्ड उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है । इस लेख में बताया गया है कि गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था । इसी लेख से पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी ई.पू. यहाँ पर धर्म का प्रचार वासुदेव की मान्यता और अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन था। यह राजस्थान में वैष्णव सम्प्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है ।
9. नगरी का शिलालेख (424 ई.) – यह शिलालेख चित्तौडगढ जिले में नगरी नामक स्थान पर उत्खनन के समय डी. आर. भण्डारकर को मिला, जिसे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है । इस लेख की भाषा संस्कृत व लिपि नागरी है। इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि नगरी का सम्बन्ध विष्णु की पूजा के स्थान विशेष से रहा हो ।
10. भ्रमरमाता का लेख – प्रतापगढ जिले के छोटी सादडी के भ्रमर माता मंदिर से 490 ई. का शिलालेख मिला है जो पाँचवीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति तथा प्रारंभिक कालीन सामन्त प्रथा के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करता है । इस प्रशस्ति का उत्कीर्णक पूर्वा तथा रचयिता मित्रसोम का पुत्र ब्रह्मसोम था । इस शिलालेख से गौर वंश तथा औलिकार वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है ।
11. चित्तौड के दो खण्ड लेख (532 ई.) – यह शिलालेख चित्तौडगढ दुर्ग में मिला पहले वाले खण्ड पर लिखा है कि वराह के पौत्र व विष्णुदत्त का पुत्र चित्तौड और दशपुर का राजस्थानीय था तथा दूसरे पर मनोहर स्वामी अर्थात् विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि छठी शताब्दी के प्रारम्भ में मन्दसौर के शासकों का चित्तौड पर अधिकार था । वे अपने प्रान्तीय अधिकारियों को इस भाग के शासन के लिए नियुक्त करते थे जो राजस्थानीय कहलाते थे ।
12. बसंतगढ का लेख (625 ई.) – यह शिलालेख सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ में मिला है, जो राजा वर्मलात के समय का है । यह वर्मलात वज्रभट (सत्याश्रय) का पुत्र व अबूंद देश का स्वामी था इस लेख से हमें सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है ।
13. सांभोली शिलालेख (646 ई.) – यह शिलालेख उदयपुर जिले की भोमट तहसील के सांभोली गाँव में प्राप्त हुआ । जहाँ से डॉ. ओझा ने इसे अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया । इस शिलालेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि कुटिल है । यह लेख मेवाड के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है जिसमें शिलादित्य के बारे में लिखा है कि "वह शत्रुओं को जीतने वाला, देव ब्राह्मण और गुरुजनों को आनन्द देने वाला और अपने कुलरूपी आकाश का चन्द्रमा राजा शिलादित्य पृथ्वी पर विजयी हो रहा है । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इसी समय यहाँ जावर के निकट ताँबे व जस्ते की खानों का काम शुरू हुआ तथा डैतक मेहतर ने अरण्यवासिनी देवी का मंदिर बनवाया जिसे आज 'जावर माता का मंदिर' कहते है ।

14. अपराजित का शिलालेख (661 ई.) – यह शिलालेख उदयपुर जिले के नागदा गाँव में कुंडेश्वर के मंदिर में पडा हुआ डॉ. ओझा को मिला, जिसे ओझा ने उदयपुर विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया । इस लेख की भाषा संस्कृत व लिपि कुटिल है । दामोदर के पौत्र व ब्रह्मचारी के पुत्र दामोदर ने उक्त प्रशस्ति की रचना की तथा अजीत के पौत्र व वत्स के पुत्र यशोभट्ट ने उसे खोदा इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अपराजित ने वराह सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर उसे अपना सेनापति बनाया था ।

15. शंकरघट्टा का शिलालेख (713 ई.) – यह शिलालेख चित्तौड़गढ जिले में गम्भीरी नदी के तट पर शंकर घट्टा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है । इस लेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा मानभंग (शायद मानमोरी) ने चित्तौड़गढ में गगनचुंबी प्रासाद, वापी व सूर्य मंदिर बनवाया जिसमें से सूर्य मंदिर आज भी है ।

16. मानमोरी का शिलालेख (713 ई.) – यह शिलालेख चित्तौड़गढ के समीप पूठोली गाँव में मानसरोवर झील के तट पर एक स्तम्भ पर कर्नल जेम्स टॉड को मिला । इस शिलालेख का लेखक पुष्य तथा उत्कीर्णक शिवादित्य था टॉड इस शिलालेख को इंग्लैण्ड ले जा रहे थे परन्तु भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया । इस शिलालेख की प्रतिलिपि कर्नल टॉड ने अपने ग्रन्थ 'एनाल्स एण्ड एटिक्वीटीज ऑफ राजस्थान' के प्रथम भाग में प्रकाशित की है । इस शिलालेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है ।

17. कणसवा का लेख (738 ई.) – यह शिलालेख कोटा जिले के कणसवा गाँव के शिवालय में लगा मिला । इस शिलालेख में मौर्यवंशी राजा धवल का नाम मिलता है । इसके बाद किसी भी मौर्यवंशी राजाओं का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता ।

18. चाटसू/चाकसू की प्रशस्ति (813 ई.) – यह शिलालेख जयपुर जिले के चाकसू गाँव में मिला इस प्रशस्ति की रचना छित्ता के पुत्र करणिक (कायस्थ) भानू ने की तथा रज्जुक के बेटे भाइल ने उसे खोदा इस लेख से हमें चाकसू के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है जो प्रतिहार वंशीय शासकों के सामन्त थे ।

19. बुचकला शिलालेख (815 ई.) – यह शिलालेख जोधपुर जिले की बिलाडा तहसील में स्थित बुचकला के पार्वती मंदिर के सभामण्डप में ब्रह्मभट्ट नानूराम को मिला यह लेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार के समय का है । यह लेख संस्कृत भाषा व उत्तर भारती लिपि में उत्कीर्ण गद्य रूप में है । इस लेख से हमें प्रतिहार वंशीय सामन्त और कुछ उसके वंश के व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है ।

20. घटियाला के शिलालेख (861 ई.) – यह शिलालेख जोधपुर जिले के घटियाला में स्थित एक स्तम्भ के दो पार्श्व पर उत्कीर्ण है । यह स्तम्भ एक जैन मंदिर के पास है। जिसे 'माता की साल' कहते हैं । इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है । इस लेख में हमें कुक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने 'रोहिंसकूप' (घटियाला) को भयरहित कर आबाद किया था ।

21. घटियाला के दो लेख (861 ई.) – यह दो शिलालेख जोधपुर जिले के घटियाला गाँव से प्राप्त हुए । जिनमें से एक लेख महाराष्ट्री भाषा में तथा दूसरा संस्कृत भाषा में है । इस लेख से हमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है । इस वंश का प्रमुख (आदि पुरुष) हरिश्चन्द्र था ।

22. <u>आदिवराह मंदिर का अभिलेख</u> – आहड (उदयपुर) में स्थित आदिवराह मंदिर के 944 ई. के अभिलेख से, जो संस्कृत भाषा में लिखा है तथा भर्तृहरि द्वितीय के समय का है, हमें पता चलता है कि आदिवराह मंदिर का निर्माण आदिवराह नाम व्यक्ति द्वारा करवाया गया था । इस अभिलेख में 'गंगोद्भव' का उल्लेख मिलता है ।
23. <u>प्रतापगढ का शिलालेख (946 ई.)</u> – यह शिलालेख प्रतापगढ नगर में चेनराम अग्रवाल की बावडी के निकट एक चबूतरे पर लगा हुआ मिला जिसे डॉ. ओझा ने वहाँ से हटा कर अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया । इस लेख की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत भाषा के साथ कुछ प्रचलित देशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे अरहट, कोशवाह (एक चमडे के चडस से सींची जाने वाली भूमि है), चौसर (यह एक फूलों की माला है), पालिका (पूला), पली (यह तेल की नाप है), धाणा (धाणी) आदि विशेष उल्लेखनीय है। इसी लेख में हमें प्रतिहार वंश के शासकों की नामावली भी मिलती है । यह शिलालेख 10वीं शताब्दी के धार्मिक जीवन, गाँवों की सीमा, जनजीवन, कर व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालता है ।
24. <u>सारणेश्वर (साँडनाथ) प्रशस्ति (953 ई.)</u> – यह प्रशस्ति प्रारम्भ में आहड गाँव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी । वराह मंदिर गिर जाने से इस प्रशस्ति को वहाँ से हटाकर उदयपुर के 'शमशान के सारणेश्वर मंदिर' के निर्माण के समय वहाँ लगा दी गई । इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत व लिपि नागरी तथा लिपिकार कायस्थ पाल और वेलक थे । इस प्रशस्ति से हमें गुहिल वंशीय राजा अल्लट उसकी माता महालक्ष्मी व उसके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है ।
25. <u>ओसियाँ का लेख (956 ई.)</u> – इस लेख में मानसिंह को भूमि का स्वामी एवं वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है । इस लेख से हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय को समाज प्रमुख चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र में विभाजित था ।
26. <u>चित्तौड का लेख (971 ई.)</u> – यह लेख हमें चित्तौडगढ से प्राप्त हुआ । इसकी एक प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहीत है । लेख में चित्तौड के तत्कालीन शासक नरवर्मा द्वारा चित्तौड में महावीर जिनालय का निर्माण करवाया गया । इस लेख के 75वें श्लोक में देवालय में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध बतलाया गया है, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है । इस शिलालेख से हमें परमार शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है ।
27. <u>नाथ प्रशस्ति एकलिंगजी (971 ई.)</u> – यह प्रशस्ति उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गाँव में स्थित एकलिंगजी के मंदिर से कुछ ऊँचे स्थान पर लकुलीश के मंदिर में लगी हुई है । इसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि देवनागरी है । यह प्रशस्ति मेवाड के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए बडे काम की है । इस प्रशस्ति की रचना वेदांग मुनि के शिष्य आम्र कवि ने की । इसी प्रशस्ति में स्याद्वाद (जैन) व सौगात (बौद्ध) विचारकों को वाद-विवाद में पता करने वाले वेदांग मुनि की चर्चा की है ।
28. <u>हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति (973 ई.)</u> – यह प्रशस्ति सीकर जिले के रेवासा गाँव में स्थित हर्षनाथ के मंदिर में लगी है । यह प्रशस्ति साँभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है । इस मंदिर का निर्माण विग्रहराज के सामन्त अल्लट ने करवाया । इस प्रशस्ति में चौहानों के वंशक्रम तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है । इसमें वागड क्षेत्र के लिए वार्गट शब्द का प्रयोग किया गया है ।

29. आहड का शक्ति कुमार का लेख – 977 ई. का शक्ति कुमार का लेख आहड से प्राप्त हुआ है । इस शिलालेख से अल्लट की रानी हरिया देवी हूण राजा की पुत्री थी तथा गुहिल से लेकर शक्तिकुमार तक की वंशावली का ज्ञान होता है ।

30. हस्तिकुण्डी शिलालेख (996 ई.) – यह शिलालेख माउण्ट आबू जाने वाले उदयपुर सिरोही मार्ग के एक द्वार पर कैप्टन बर्स्ट को मिला था । जिसे अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है । यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में 'सूर्याचार्य' द्वारा लिखी गई है । इसमें हस्तिकुंड के चौहान हरिवर्मन की पत्नी इचि तथा विदग्ध, मम्मट और धवल के बारे में जानकारी मिलती है ।

31. पाणाहेडा का लेख (1059 ई.) – बाँसवाडा जिले के पाणाहेडा ग्राम के मंडलीश्वर के शिवालय से 1059 ई. का एक लेख मिला है । इस अभिलेख में मालवा तथा वागड के परमारों के वंशक्रम की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से मालवा के मुंज, सिन्धुराज व भोज की जानकारी मिलती है, वहीं धनिक से मंडलिक तक के वागड के परमारों की वंशावली भी मिलती है ।

32. अर्थूणा (बाँसवाडा) के शिव मंदिर की प्रशस्ति (1079 ई.) – यह प्रशस्ति बाँसवाडा जिले के अर्थूणा गाँव के बाहर मंडलेश्वर मंदिर में लगी है । इस मंदिर का निर्माण चामुण्ड राजा ने अपने पिता मंडलीक की स्मृति में करवाया । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि बागड के परमार मालवा के परमार वंशी राजा वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र डंबर सिंह के वंशज थे और उनके अधिकार में बागड तथा छप्पन का प्रदेश था । इस प्रशस्ति की रचना विजय ने की थी और उसे अस्तराज कायस्थ ने लिखा था ।

33. सादडी व नाडौल के अभिलेख (1090 ई.) – सादडी का लेख पाली जिले के सादडी गाँव में स्थित जोगेश्वर मंदिर में तथा नाडोल का लेख सोमेश्वर के मंदिर से प्राप्त हुआ । दोनों लेखों का समय वैशाख शुक्ला 2 बुधवार विक्रम संवत् 1147 (1090 ई.) का है। इन दोनों की लिपि नागरी एवं भाषा संस्कृत है । इन दोनों लेखों से हमें उस समय की धर्म सहिष्णुता, वेशभूषा, उत्सवों में गायन व नृत्य की परिपाटी आदि के बारे में जानकारी मिलती है ।

34. जालौर का लेख (1118 ई.) – यह शिलालेख जालौर जिले के जालौर दुर्ग में स्थित तोपखाना की इमारत पर लगा हुआ था, अब इसे जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के यज्ञ से हुई तथा परमारों की जालौर शाखा के प्रवर्तक वाक्पतिराज को बताया गया है ।

35. इंगनोडा का शिलालेख (1133 ई.) – यह शिलालेख प्रतिहार कालीन है । इसमें आषाढ शुक्ल एकादशी के अवसर पर श्री गोहडेश्वर महादेव के मंदिर के लिए आगासिया गाँव को भेंट करने का उल्लेख है । इस लेख से यह भी जानकारी मिलती है कि उन दिनों सभी जातियों की बस्तियाँ अपने-अपने मौहल्लों में रहती थी। इस शिलालेख का लेखक 'कायस्थ कल्हण' और उत्कीर्णक सूत्रधार 'राजण' था ।

36. नाडोल लेख (1141 ई.) – यह लेख नाडोल के सोमेश्वर के मंदिर का है । यह लेख स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए बडे महत्व का है, क्योंकि इससे बडे नगरों तथा गाँवों के विभाजन का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में यहाँ ग्रामीण व्यवस्था में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित था तथा भाट उस युग में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने घोडों पर लादकर ले जाया करते थे तथा घोडों का व्यापार भी करते थे, जबकि बणजारे अपने बैलों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे ।

37. घाणेराव का लेख (1156 ई.) – यह शिलालेख घाणेराव में मिला है । इस लेख से हमें 12वीं शताब्दी के राजस्थान की स्थिति को समझने में बडी सहायता मिलती है ।

38. किराडू लेख (1161 ई.) – यह शिलालेख बाडमेर जिले के किराडू गाँव में स्थित शिव मंदिर के एक खम्भे पर मिला। यह लेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है । जिसमें वहाँ के परमार शासकों के वंश क्रम की जानकारी मिलती है । इसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बतलाई गई है ।

39. बिजौलिया का लेख (1170 ई.) – यह शिलालेख भीलवाडा जिले के बिजौलिया गाँव के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है । यह मूलतः दिगम्बर लेख है, जिसको दिगम्बर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था । इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है । इस लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्सगोत्र के ब्राह्मण से हुई है ।

    इस लेख में कई प्राचीन स्थानों जैसे जाबालिपुर (जालौर), नड्डुल (नाडोल), शाकम्भरी (साँभर), दिल्लिका (दिल्ली), श्रीमाल (भीनमाल), मंडलकर (मांडलगढ), विंध्यवल्ली (बिजौलिया), नागॉद (नागदा) आदि का उल्लेख है । इसमें बिजौलिया के आसपास के पठारी भाग को उत्तमाद्री कहा गया है, जिसे आज ऊपरमाल कहा जाता है । इस लेख के रचयिता गुणभद्र तथा लेखक कायस्थ केशव थे ।

    इस शिलालेख को नानिंग के पुत्र गोविन्द ने उत्कीर्ण किया । इस शिलालेख के अनुसार चौहानों के आदिपुरुष वासुदेव चौहान ने शाकम्भरी (सांभर) झील का निर्माण कर चौहान राज्य की स्थापना की ।

40. उस्तरा की देवली का लेख (1181 ई.) – जोधपुर के उस्तरा नामक गाँव में एक स्मारक है जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर गुहिल वंशीय राणा निहुणपाल के साथ उसकी रानियाँ भी सती हुई ।

41. उस्तरा के स्मारक का लेख (1192 ई.) – इस शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि यहाँ गुहिल वंशीय राजा मोटीस्वरा के साथ उसकी मोहिल रानी सती हुई (मोहिल चौहानों की एक शाखा है ।)

42. नादेसमाँ गाँव का लेख–मेवाड के नादेसमाँ गाँव के टूटे हुए सूर्य मंदिर के स्तम्भ से यह शिलालेख मिला है । जो लगभग 1222 ई. का है। इस शिलालेख में जैत्रसिंह की राजधानी के रूप में नागदा का वर्णन है, जिससे यह पता चलता है कि 1222 ई. तक नागदा का विनाश नहीं हुआ था ।

43. लूणवसही (आबू देलवाडा) की प्रशस्ति (1230 ई.) – यह शिलालेख सिरोही जिले में स्थित देलवाडा गाँव के लूणवसही मंदिर में मिला है । इसकी भाषा संस्कृत है। इस लेख में आबू के परमार शासकों तथा वास्तुपाल तथा तेजपाल के वंश का वर्णन है । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सोमसिंह के समय में उसके मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने देलवाडा गाँव में लूणवसही नामक नेमिनाथ का मंदिर अपनी स्त्री अनुपमा देवी के श्रेय के लिए बनवाया था। इस मंदिर की प्रतिष्ठा विजय सेन सूरी ने की ।

44. <u>सुन्डा पर्वत का शिलालेख (1232 ई.)</u> – यह शिलालेख दो शिलाखण्डों पर अंकित था जो जोधपुर जिले के जसवन्तपुरा गाँव से दस मील की दूरी पर स्थित सुन्डा (सुंगधादि) पर्वत मिला । इस लेख की भाषा संस्कृत व लिपि देवनागरी है । इस लेख का प्रशस्तिकार जैन साधु जयमंगलाचार्य, लेखक विजयपाल का पुत्र व उत्कीर्णक सूत्रधार जैसा है । इस लेख में प्रशस्तिकार, लेखक व उत्कीर्णक के नामों के साथ उनके गुरुओं व पिताओं के नाम भी उत्कीर्ण है । इस लेख से हमें चोचिंगदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है ।
45. <u>गंभीरी नदी के पुल का लेख (1267 ई.)</u> – यह शिलालेख चित्तौडगढ जिले में बहने वाली गंभीरी नदी के पुल के नवें कोठे में लगा हुआ है । इस पुल का निर्माण खिज्र खाँ ने करवाया । इस लेख से हमें तेजसिंह के प्रधान काँगा के पुत्र को जानकारी मिलती है चौत्रगच्छ के आचार्य रत्नप्रभसूरी के उपदेश से उसने भवन का निर्माण करवाया था ।
46. <u>चीरवा का शिलालेख (1273 ई.)</u> – यह शिलालेख उदयपुर जिले के चीरवा गाँव में बने मंदिर में लगा है । इस लेख से हमें गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पद्मसिंह, जैत्रसिंह, तेजसिंह व समरसिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है । भुवनसिंह सूरी के शिष्य रत्नप्रभसूरि ने चित्तौड में रहते हुए चीरवा शिलालेख की रचना की व उनके शिष्य पार्श्वचन्द ने उसको सुन्दर नागरी लिपि में लिखा । इस लेख से हमें टांटेड जाति के तलारक्षों के बारे में भी जानकारी मिलती है जो नगर के सज्जन व्यक्तियों की रक्षा तथा दुष्टों को दण्ड देते थे ।
47. <u>बीठू का लेख (1273 ई.)</u> – यह शिलालेख पाली जिले के बीठू गाँव में मिला इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि मारवाड के आदिपुरुष राव सीहा सेतुकुँवर का पुत्र था । जिसकी मृत्यु होने पर उसकी स्त्री पार्वती ने वहाँ देवलो स्थापित की ।
48. <u>रसिया की छतरी का लेख (1274 ई.)</u> – यह शिलालेख चित्तौडगढ दुर्ग में रसिया की छतरी की ताकों में मिला । इस लेख की रचना प्रियपटु के पुत्र नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की तथा उत्कीर्ण सज्जन ने किया । इस लेख से हमें गुहिलवंश व मेवाड की प्राकृतिक स्थिति, उपज, वृक्षावली तथा पक्षियों के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है ।
49. <u>अचलेश्वर का लेख (1285 ई.)</u> – यह शिलालेख सिरोही जिले के आबू में स्थित अचलेश्वर मंदिर के पास स्थित मठ के चौपाल की दीवार पर लगा मिला इसकी भाषा पद्यमयी संस्कृत है । इस लेख से हमें गुहिल वंशीय बप्पा से लेकर समरसिंह तक की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है । इस लेख के रचयिता वेद शर्मा, लेखक शुभचन्द्र व उत्कीर्ण कर्त्ता कर्मसिंह सूत्रधार था ।

    इस शिलालेख के अनुसार बप्पा रावल ने हारीत ऋषि की सेवा व तपस्या कर उन्हीं के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की इस लेख में मेदपाट का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि 'बप्पा द्वारा यहाँ दुर्जनों का संहार हुआ तथा उनकी चर्बी से यहाँ की भूमि गीली हो जाने से इसे मेदपाट कहा गया ।'

50. चित्तौड के जैन कीर्ति स्तम्भ के तीन लेख (13वीं सदी) – यह शिलालेख चित्तौडगढ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तम्भ पर अंकित है। इस लेख के प्रारम्भ में दिनांक तथा उनकी पत्नी वांछी के पुत्र सानाय द्वारा एक मंदिर के निर्माण का वर्णन है सानाय की पत्नी नाग श्री और उनका पुत्र जीजाक थे । इसी बघेरवाल जाति के सानाय के पुत्र जीजाक द्वारा स्तम्भ निर्माण का उल्लेख मिलता है ।

51. दरीबा का शिलालेख (1302 ई.) – काँकरोली रेलवे स्टेशन के समीप दरीबा गाँव के मातृकाओं के मंदिर के स्तम्भ से 1302 ई. का महारावल रतन सिंह के समय का यह लेख मिला है जो महाराजा रतनसिंह की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है ।
52. माचेडी की बावली का लेख (1382 ई.) – यह शिलालेख अलवर जिले के माचेडी गाँव की बावडी पर लगा मिला । इस शिलालेख में प्रथम बार 'बडगूजर' शब्द का प्रयोग मिलता है ।
53. जावर की प्रशस्ति (1421 ई.) – यह प्रशस्ति उदयपुर जिले के जावर गाँव में स्थित पार्श्वनाथ के छबने में उत्कीर्ण मिली । इस प्रशस्ति से हमें तत्कालीक संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन, धार्मिक कार्यों में सम्पूर्ण परिवार के सम्मिलित होने तथा शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है ।
54. श्रृंगी ऋषि शिलालेख (1428 ई.) – यह शिलालेख उदयपुर जिले के कैलाशपुरी गाँव में स्थित एकलिंग मंदिर से छः मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर एक तिबारे में लगा है। इसकी रचना कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की इस शिलालेख के सूत्रधार हादा के पुत्र फना ने इसे खोदा यह लेख मोकल के समय का है जिसने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई । इस शिलालेख से पता चलता है कि राणा लाखा ने त्रिस्थली काशी, प्रयाग और गया में हिन्दुओं से लिए जाने वाले करों को हटवाकर गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया ।
55. समाधीश्वर लेख (1428 ई.) – चित्तौडगढ के समाधीश्वर मंदिर के सभामण्डप पर लगे हुए है । इस लेख में गुहिलवंश की धर्म संस्थापना तथा कार्यक्षमता की प्रशंसा की गई है । इस लेख में हम्मीर का वर्णन करते हुए उसकी तुलना अच्युत, कामदेव, ब्रह्मा, शंकर तथा कर्ण से की है । इस प्रशस्ति के रचयिता विष्णु भट्ट का पुत्र एकनाथ था, जो दशपुर (दशोरा) जाति का था। इस लेख का उत्कीर्णक वीसल था ।
56. देलवाडा का शिलालेख (1437 ई.) – इस लेख में टंक नामक प्रचलित मुद्रा का व स्थानीय करों का भी उल्लेख मिलता है । इस लेख को मेवाडी भाषा में लिखा गया है, जो इस समय की बोलचाल की भाषा थी ।
57. नागदा का लेख (1437 ई.) – इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय समाज में बहु विवाह तथा संयुक्त परिवार जैसी प्रथाएँ प्रचलित थी ।
58. रणकपुर प्रशस्ति (1439 ई.) – यह प्रशस्ति पाली जिले में स्थित रणकपुर के चौमुखा मंदिर में लगी है एवं इस लेख में संस्कृत भाषा व नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है । इस लेख में मेवाड के बप्पा से लेकर कुम्भा तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, श्रेष्ठि वंश का तथा उसके शिल्पी का परिचय मिलता है ।

ध्यातव्य रहे – इस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को पृथक् पृथक् व्यक्ति बतलाया गया है ।

59. कीर्तिस्तम्भ प्रशस्ति (1460 ई.) – चित्तौडगढ दुर्ग में स्थित इस प्रशस्ति में कुंभा की दानगुरु, छायगुरु, हिन्दू सुरताण, राणा रासो, राजगुरु और शैलगुरु आदि उपाधियों का वर्णन मिलता है । प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने प्रशस्ति में कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है, जिनमें चण्डीशतक, गीत गोविन्द को टीका, संगीत राज आदि महत्वपूर्ण है । इस शिलालेख में कुंभा द्वारा मेडता (नागौर दुर्ग) से हनुमान मूर्ति लाने तथा दुर्ग के प्रमुख द्वार पर लगवाने का वर्णन मिलता है ।

60. कुंभलगढ का शिलालेख (1460 ई.) – यह शिलालेख राजसमन्द जिले के कुंभलगढ दुर्ग में कुंभश्याम के मंदिर में मिला, जिसे वर्तमान में 'मामादेव का मंदिर' कहते है । इस शिलालेख को यहाँ से हटाकर उदयपुर संग्रहालय में रख दिया गया है । इस लेख में मेवाड के महाराणाओं का उल्लेख मिलता है । लेख में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया तथा कुंभा की विजयों का सविस्तार उल्लेख मिलता है । इस लेख में बप्पा को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है ।
61. बीका स्मारक शिलालेख (1504 ई.) – इस शिलालेख में राजा बीका राठौड के साथ उनकी तीन रानियों के सती होने का वर्णन है ।
62. खजूरी गाँव का शिलालेख (1506 ई.) – कोटा जिले के खजूरी गाँव से प्राप्त यह शिलालेख महाराजा सूरजमल के समय 1506 ई. का है जिसमें बूंदी के हाडाओं का इतिहास मिलता है ।
ध्यातव्य रहे – इसमें बूंदी का नाम वृन्दावती दिया गया है ।
63. बीकानेर की प्रशस्ति (1594 ई.) – यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के द्वार पर लगी है, जो रायसिंह के समय की है। इस लेख से हमें रायसिंह के मंत्री कर्मचंद के निरीक्षण में सम्पन्न हुए, इसमें दुर्ग निर्माण व बीका से रायसिंह तक के बीकानेर शासकों की उपलब्धियों का परिचय मिलता है । इस शिलालेख का रचयिता जैता नामक एक जैन मुनि था जो क्षेमरत्न का शिष्य था ।
64. आमेर का लेख (1612 ई.) – यह शिलालेख जयपुर में स्थित आमेर में है । इस लेख से हमें कछवाहा वंश की जानकारी मिलती है । इसमें कछवाहा वंश को 'रघुवंश तिलक' कहकर सम्बोधित किया गया है । इस लेख में पृथ्वीराज, उसके पुत्र भारमल, उसके पुत्र भगवंतदास और उसके पुत्र मानसिंह के नाम क्रम से दिये गये है ।
65. जगन्नाथ कछवाहा की छतरी का लेख (1613– ई.) – 1613 ई. के शिलालेख जो कि भीलवाडा जिले में माँडलगढ से बत्तीस खंभों को जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जिसे शिंहेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है । इस शिलालेख में मेवाड आक्रमण से लौटते समय आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के भाई जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु का विवरण मिलता है ।
66. जगन्नाथ राय प्रशस्ति (1652 ई.) – यह प्रशस्ति उदयपुर जिले के जगन्नाथ/जगदीश मंदिर में स्थित है । इसमें बप्पा से लेकर जगतसिंह तक के मेवाड शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है । इस लेख में हल्दीघाटी के युद्ध का भी वर्णन है ।
67. राज प्रशस्ति (1676 ई.) – यह प्रशस्ति राजसमन्द जिले में स्थित राजसमन्द झील के किनारे पर 25 पाषाणों पर स्थित है इसकी भाषा संस्कृत है जिसे पद्यों में लिखा गया है । जहाँ पर ये पाषाण लगे है वह नौ चौकी कहलाती है । प्रत्येक पट्टिकाओं में प्रशस्ति का एक एक सर्ग उत्कीर्ण है अतः इसे 'महाकाव्य' की संज्ञा दी गई है । इस प्रशस्ति की रचना राजसिंह की आज्ञा से रणछोड भट्ट ने राज समुद्र के निर्माण की पूर्णाहुति के समय लगाने के लिए की । इस लेख से हमें मेवाड राजवंश के शासकों विशेषतरू राजसिंह, जगतसिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है । यह विश्व की सबसे बडी प्रशस्ति है । इस शिलालेख में महाराणा अमरसिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड संधि का वर्णन मिलता है ।

68. जनासागर प्रशस्ति (1677 ई.) – जनासागर की प्रशस्ति महाराणा राजसिंह के काल की है जो 1677 ई. में जनासागर तालाब के निर्माण के समय स्थापित की गई थी । इस तालाब का निर्माण महाराणा ने अपनी माता जनादे के नाम से सिंचाई कार्यों में उपयोग के लिए उदयपुर के पश्चिम में बडी गाँव के पास करवाया था ।
69. बेणेश्वर का लेख – बेणेश्वर (डूंगरपुर) का शिव मंदिर महारावल आसकरण के समय का माना जाता है जिस पर बाँसवाडा व डूंगरपुर राज्यों के मध्य विवाद था अन्त में इसे डूंगरपुर राज्य की सीमा में मान लिया गया । जिसकी जानकारी, 30 जनवरी, 1866 का एक शिलालेख जो कि इस मंदिर में लगा हुआ है, से मिलती है। इस शिलालेख पर अंग्रेज अधिकारी मेजर एम.एम. मैकेंजी व पॉलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हिली ट्रैक्ट्स के हस्ताक्षर है ।
70. कुंभलगढ में कुँवर पृथ्वीराज के स्मारक का लेख पृथ्वीराज के स्मारक छतरी के एक स्तम्भ पर लगे हुए शिलालेख से मिलती है । हमें पृथ्वीराज के साथ सती होने वाली सात रानियों के नाम तथा पृथ्वीराज के घोडे साहण के नाम की जानकारी मिलती है ।

फारसी भाषा के लेख

1. अजमेर का लेख (1200 ई.) – यह शिलालेख अजमेर में स्थित अढाई दिन के झोंपडे के दूसरे गुम्बद की दीवार के पीछे है । यह राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है, जिसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया । इसमें अबूबक्र नामक व्यक्ति का जिक्र है जिसके निर्देशन में मस्जिद का काम करवाया गया ।
2. धाईबी पीर की दरगाह का लेख (1325 ई.) – इस शिलालेख में चित्तौडगढ को खिज्राबाद अंकित किया गया है । इस लेख में मलिक आरुद्दीन द्वारा चित्तौड में सुल्तान सराय बनाने का उल्लेख है ।
3. बरबंद (बयाना के निकट, जिला भरतपुर) का लेख (1613 - 14 ई.) – यह लेख बरबंद गाँव की दीवार पर मिला । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अकबर की पत्नी मरयुम जमानी की आज्ञा से यहीं एक बाग एवं बावली (बावडी) का निर्माण करवाया गया ।
4. पुष्कर के जहाँगीरी महल का लेख (1615 ई.) – पुष्कर में स्थित इस लेख में जहाँगीर द्वारा मेवाड के राणा अमरसिंह के राज्य पर की गई विजय का उल्लेख है ।
5. दरगाह बाजार की मस्जिद का लेख (1652 ई.) – अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद में स्थित इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने सन् 652 ई. में करवाया था ।
6. शाहजहानी मस्जिद, अजमेर का लेख (1637 ई.) – इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि खुर्रम (शाहजहाँ) राणा पर विजय प्राप्त कर यहाँ आया तो उसने अजमेर में एक मस्जिद बनाने की वाधा (शपथ) ली थी। बादशाह बनने पर उसने इसको पूरा किया ।
7. कनाती मस्जिद (नागौर) का लेख (1641 ई.) – इस लेख के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण जमालशाह द्वारा करवाया गया। जो जुमीशाह का प्रपत्र था। यह जुमीशाह चौहान वंशीय था । इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय अनेक चौहान राजपूत मुसलमान बन गये थे ।
8. मकराना की बावडी का लेख (1651 ई.) – इस लेख में मिज अली बेग ने यह सूचना दी कि ऊँची कोम के लोगों के साथ निम्न वर्ग के लोग कुएँ से पानी नहीं खींचे अर्थात् इस लेख से तत्कालीन जाति प्रथा का बोध होता है ।
9. शाहजहानी दरवाजा, दरगाह अजमेर का लेख (1654 ई.) – इस लेख से पता चलता है कि शाहजहाँ भी धर्मान्ध था उसने मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था ।

10. अमरपुर नागौर का लेख (1655 ई.) – इस लेख से हमें चौहानों के धर्म परिवर्तन होने का उदाहरण मिलता है इसके अतिरिक्त नागौर और आस-पास के गाँवों में 17वीं शताब्दी तक शाहजहाँ के समय में इस्लाम का प्रभाव बढ चुका था ।
11. बकालिया नागौर का लेख (1670 ई.) – इस लेख का महत्व इसलिए है कि नागौर जिले में उस समय औरंगजेब का प्रभाव था और उस काल में धर्म परिवर्तन एक साधारण घटना बन गई थी ।
12. साँभर की मस्जिद का लेख (1697 – 98 ई.) – यह लेख एक कब्र के पास पडा मिला जिसे विश्व शक्ति गृह में रखवा दिया गया । इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि औरंगजेब के शासनकाल में एक मंदिर की जगह शाह सब्जअली द्वारा यहाँ मस्जिद बनवाई गई ।
13. जामी मस्जिद का लेख, मेडता (1807-1808 ई.) – इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया ।
14. जामा मस्जिद (भरतपुर) का लेख (1845 ई.) – इस लेख से हमें भरतपुर के शासकों की धर्म सहिष्णुता प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है ।

सिक्के

सिक्कों की अगर हम महत्ता देखें तो सर्वप्रथम इनके माध्यम से शासकों का वंशक्रम निर्धारित किया जाता है । उनके शासन काल की आर्थिक सम्पन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है । सिक्कों पर उत्कीर्ण विशेष धार्मिक चिह्नों के आधार पर शासकों की धार्मिक प्रवृत्ति का पता चलता है । सिक्कों की बनावट तथा उत्कीर्ण शब्द एवं मूर्तियों से तत्कालीन कला तथा वेशभूषा सामाजिक परिवेश का बोध होता है ।

ध्यातव्य रहे – सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स (मुद्राशास्त्र) कहा जाता है ।

भारत के सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्ड/आहत सिक्के है जो लेख रहित है । सर्वप्रथम 1835 ई. में जेम्स प्रिंसेप ने इनका नाम आहत सिक्के दिया ।

भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सोने के सिक्के इण्डो ग्रीक (भारतीय यवन) शासकों ने जारी किए ।

भारत में डी. डी. कौशाम्बी और रैप्सन ऐसे इतिहासकार हुए है जिन्होंने सिक्कों के आधार पर भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया है ।

वैदिक साहित्य में कनिष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है किन्तु ये सिक्के अब तक उपलब्ध नहीं हुए है ।

सिक्कों पर कई प्रकार के चिह्न होते है । जिनसे सिक्के चलाने वाले समुदाय या व्यक्ति की कई अज्ञात बातें सामने आती है । सिक्कों पर अंकित चिह्नों, मूर्तियों तथा नामोल्लेख से उस समय के प्रचलित धर्म का ज्ञान होता है । प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक कई लाखों की संख्या में सोने, चांदी, ताँबे और सीसे के सिक्के मिल चुके है । अभिलेखों की भाँति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते है ।

1. आहड के उत्खनन से प्राप्त सिक्के – उदयपुर जिले के आहड कस्बे में खुदाई करने पर यहाँ 6 ताँबे के सिक्के व इण्डो-ग्रीक मुद्राएँ प्राप्त हुई, जिनका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से प्रथम व द्वितीय ईसा आँका जाता है । यहाँ प्राप्त सिक्कों में एक सिक्का चौकोर और अन्य गोल है । इन सिक्कों में से एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन दिखाई देता है। इण्डोग्रीक मुद्रा पर एक तरफ दोनों हाथों में तीर लिए हुए 'अपोलो' तथा दूसरी तरफ 'महाराजन प्रतर्स' अंकित है ।

2. <u>रैढ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के</u> – प्राचीन काल में रैढ जयपुर राज्य के भरतला ठिकाने का एक छोटा सा गांव था, जो वर्तमान में टोंक जिले में है । यहाँ उत्खनन करने पर 3075 चाँदी के पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के मौर्यकाल के है जिनका वजन 57 ग्रेन है । भारत में एक साथ इतने सिक्के और कहीं नहीं मिले अतः इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते है । चाँदी के अलावा यहाँ के सिक्कों को 'धरण या पण' कहा जाता है । यहाँ चाँदी के अलावा ताँबे के सिक्के भी मिले है जो मालव, मित्र, सेनापति, इण्डोसेसेनियन आदि वर्ग के है । इन सिक्कों को गणमुद्राएँ कहा गया है ।
3. <u>पंचमार्क आहत सिक्के</u> – भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में आहत सिक्कों का प्रचलन था आहत सिक्के खण्डित अवस्था में मिले थे। इन पर किसी राजा का नाम अंकित न होकर पाँच प्रकृति (पेड, मछली, साँड, हाथी, अर्द्धचन्द्र) के चिह्न बने हुए थे अतः इन्हें ही 'पंचमार्क सिक्के' कहते है । इन सिक्कों का निर्माण ठप्पा मारकर किया जाता था अतः यह 'आहत सिक्के' कहलाये । ये आहत पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते है, जिन्हें चाँदी से बनाया जाता था ।
4. <u>मालवगण के सिक्के</u> – ये सिक्के रैढ व पूर्वी राजस्थान में हजारों की संख्या में पाए गए है । इन पर 'मालवानां जय' अथवा अग्रभाग पर 'बोधिवृक्ष' और पृष्ठ भाग में सिंह, नन्दी, राजा का मस्तक भी अंकित रहता है । इन सिक्कों का समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी तक का है ।
5. <u>सेनापति मुद्राएँ</u> – 6 मुद्राएँ रैढ से प्राप्त हुई जिनमें से पाँच चौकोर और एक गोल थी इन मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि में 'वच्छघोष' अंकित है । ये मुद्राएँ ईसा पूर्व तीसरी व दूसरी शताब्दी की है ।
6. <u>रंगमहल के उत्खनन के सिक्के</u> – रंगम से 105 ताँबे के कुषाणोत्तर काल के सिक्के मिले है । जिन्हें मुरंडा नाम दिया गया ।

<u>रियासतों में प्रचलित सिक्के</u>

राजपूताने की रियासतों के सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 ई. में 'द करेंसीज ऑफ दि हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना' नामक पुस्तक लिखी ।

1. <u>शाहपुरा रियासत के सिक्के</u> – यहाँ पर चलने वाले स्थानीय सिक्कों को म्यारसंदिया कहते थे । यह चाँदी का सिक्का 1760 ई. में मेवाड सरकार ने जारी किया था, जो चित्तौड की टकसाल में बनता था । इसके अलावा यहाँ चित्तौडी व भीलाडी (यह भीलाडी सिक्का भीलवाडा टकसाल में बनता था) सिक्के भी चलते थे । यहाँ पर ताँबे के सिक्के को 'माधोशाही' सिक्का कहते थे ।
2. <u>सिरोही की मुद्राएँ</u> – यहाँ पर मेवाड का चाँदी का भीलाडी रुपया और मारवाड का ताँबे का ढब्यूशाही रुपया चलता था ।
3. <u>धौलपुर के सिक्के</u> – धौलपुर रियासत की टकसाल का निर्माण 1804 ई. में किया गया । यहाँ प्रचलित सिक्के को 'तमंचा शाही' कहते है, क्योंकि उस पर तमंचे का चिह्न लगाया जाता था ।
4. <u>भरतपुर राज्य के सिक्के</u> – भरतपुर राज्य में डीग और भरतपुर में दो टकसालें थी यहाँ 1763 ई. में सूरजमल ने चाँदी के शाहआलम के नाम से सिक्के चलाए ।

5. करौली राज्य के सिक्के – यहाँ पर सर्वप्रथम महाराजा माणकपाल ने 1780 ई. में टकसाल बनवाकर चाँदी और ताँबे के सिक्के चलाए । जिन पर कटार और झाड के चिह्न अतः इन सिक्कों को कटा झाडशाही व माणक शाही सिक्के कहते हैं ।
6. अलवर राज्य के सिक्के – अलवर राज्य की टकसाल राजगढ में थी । यहाँ पर चलने वाले स्थानीय सिक्कों को रावशाही रुपया कहते हैं ताँबे के सिक्कों को रावशाही टक्का व इसके अलावा यहाँ हाली (अखे शाही) सिक्का भी चलता था ।
7. जैसलमेर के सिक्के – जैसलमेर राज्य में चाँदी का मुहम्मदशाही, अखेशाही व ताँबे के डोडिया सिक्के चलते थे ।
8. झालावाड राज्य के सिक्के – यहाँ पर पुराने मदनशाही व पृथ्वीसिंह तथा ताँबे का मदनशाही टक्का चलता था ।
9. किशनगढ राज्य के सिक्के – यहाँ पर 'शाहआलम' नाम का सिक्का एवं मेवाड की चाँद कुँवरी के नाम पर यहाँ चाँदोडी रुपया बनाया गया जिसका प्रयोग दान–पुण्य के लिए किया जाता था ।
10. कोटा राज्य के सिक्के – कोटा में पहले गुप्तकालीन और हूणों के सिक्कों का प्रचलन था । यहाँ पर हाली, मदनशाही, गुमानशाही, लक्ष्मणशाही, मुहम्मद बींदारबक्ष नाम के सिक्के भी चलते थे ।
11. बूँदी राज्य के सिक्के – यहाँ पर ग्यारहसना, हाली, अकबर शाह द्वितीय के नाम का, रामशाही, कटारशाही, चेहरे शाही आदि सिक्कों का प्रचलन था ।
12. जयपुर राज्य के सिक्के – मुगलों से निकट सम्बन्ध होने के कारण अन्य राजस्थानी राज्यों की तुलना में यहाँ सर्वप्रथम टकसाल स्थापित करने की आज्ञा मिली यहाँ पर झाडशाही (सिक्के पर 6 टहनियों के झाड का चिह्न होने के कारण) सिक्का, जगतसिंह ने अपनी पासवान रसकपूर के नाम के सिक्के, माधोसिंह ने 'हाली सिक्का' तथा ताँबे के सिक्के पुराना झाडशाही पैसा, 'मुहम्मदशाही' सिक्के चलते थे ।
13. बीकानेर राज्य के सिक्के – यहाँ पर 'गजशाही' चाँदी का सिक्का चलता था ।
14. जोधपुर राज्य के सिक्के – यहाँ पर प्राचीन काल में पंचमार्क क्षत्रपों के ट्रम्प ईरान के सेझेनियम, फंदिया, गधिया, गजशाही, सोजत की टकसाल में लल्लूलिया रुपया, विजयशाही, तख्तसिंह तथा ताँबे के ढब्बूशाही एवं भीमशाही सिक्कों का प्रचलन था । यहाँ बनने वाले सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे ।
15. बाँसवाडा राज्य के सिक्के – यहाँ पर सालिमशाही, लक्ष्मणशाही नाम के सिक्के प्रचलित थे ।
16. प्रतापगढ राज्य के सिक्के – यहाँ पर चाँदी के आलमशाही, सालिमशाही व नया सालिमशाही सिक्के चलते थे ।
17. डूंगरपुर राज्य के सिक्के – यहाँ पर उदयशाही मेवाड के चित्तौडी व प्रतापगढ के सालिमशाही रुपयों का प्रचलन था ।
18. मेवाड में चलने वाले सिक्के – यहाँ पर चाँदी के सिक्के, रूपक, ताँबे के कर्षापण, हींगला, भिलाडी, त्रिशूलिया, भीडरिया, नाथद्वारिया चाँदी व ताँबे के गंधिया, ढींगला, टका, दिरहम चित्तौडी, भीलाडो व उदयपुरी रुपया, शाहआलमी, महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूपशाही व सोने का चाँदोडी सिक्का चलाया । यहाँ के सलूम्बर ठिकाने की ताँबे की मुद्रा को पदमशाही कहते हैं । मुगलों का एलची सिक्का मेवाड की स्थानीय टकसालों में बने ।